न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: बनवारी लाल (नायब तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 24/2018

सरकार बनाम संजय, माईराम पि. मुकन्दाराम, जाति– कुम्हार, निवासी– धिंधवा बिचला

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 12.04.2018

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान संजय, माईराम पि. मुकन्दाराम, जाति–कुम्हार, निवासी– धिंधवा बिचला द्वारा रोही मौजा धिंधवा बिचला की राजकीय भूमि ख.नं. 32 के कुल रकबा 18.3130 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.20 है0 भूमि पर पक्का मकान, चार दीवारी निर्माण चालू कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल माईराम ने हाजिर अदालत होकर स्वयं एवं अपने भाई संजय की ओर से जवाब नोटिस पेश किया कि उक्त भूमि पर 50–60 वर्षो से पुराना कब्जा है। गैर सायलान ने अपने कब्जे के विधिक होने के समर्थन में अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत पेश नही किया। अतः गैर सायलान का जवाब संतोषजनक नही माना जा सकता है। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु. जोहड़ है एवं माननीन राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536/ 03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/ नियमन पर प्रतिबन्ध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाव व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन एवं प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 60, रू. कायम किया जाता है। राजकीय भूमि में अगर कोई पत्थर इत्यादी वर्तमान में पड़े हो तो कब्जे राज लेकर निलाम करने की आज्ञा दी जाती है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली, मौका बेदखली एवं निलामी हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं....0.2.......... पर
वर्ष..2018-19..में रुपये...60/-...कायम कि.ए
राजस्व लेखाकार

(बनवारी लाल)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़